न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी आल्हाद निवृत्ति सामनाथ, आई.ए.एस.

दायर दिनांक
22.12.2023

प्रकरण संख्या
402/2023

उनवान

1. श्री राजेश नुवाल पिता नरसिंह जाति महाजन आयु वयस्क निवासी जी–423 पालडी रोड, सुभाषनगर भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।

– प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

– विपक्षी

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरूस्त कराये जाने :–

उपस्थितः–
1. अधिवक्ता प्रार्थी श्री श्रवण कुमार सैन
2. विपक्षी सं0 01 पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 20.03.2024**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का विरूद्व विपक्षी के प्रस्तुत र निवेदन किया कि सरहद आरजिया प0ह0 आरजिया तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी ंख्या 2038 रकबा 1.0242 हैकटेयर भूमि स्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी म्बर 2038 रकबा 1.0242 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के पिता नरसिंह लाल पिता रामचन्द जाति महाजन के नाम र्ज थी, नरसिंह लाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी एवं जगदीश, भंवरलाल, न्तोष कुमार पिता नर सिंह, मंजु पुत्री नर सिंह के नाम पर खोला गया नर सिंह लाल की विरासत का जो ामान्तकरण खोला गया वह सही खोला गया लेकिन नामान्तकरण में लिपिकीय त्रुटि एवं भूलवश प्रार्थी का ाम राजेश के बजाय राजुलाल अंकित कर दिया, जबकि प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेज के अनुसार सही ाम राजेश नुवाल ही है जिसे संशोधन कराये जाने एवं नरसिंह की विरासत के बाद जमाबन्दी में खातेदारो ी जाति भी अंकित नही की गई जब जमाबन्दी को ऑनलाइन की गई तब उक्त वर्णित आराजियात में ातेदारो की जाति बिना किसी आधार के राजपूत अंकित कर दी गई जबकि पुरानी जमाबन्दी के अनुसार क्त वर्णित आराजियात के खातेदार की जाति महाजन अंकित थी, जिसे भी संशोधन कराये जाने की ार्थना की है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में जमाबन्दी खाता संख्या 451 संवत 2071 से 2074 ी प्रति एवं जमाबन्दी खाता संख्या 194 संवत 2055 से 2058 एवं नामान्तरकरण ग्राम आरजिया की माणित प्रति, आधार कार्ड की फोटो प्रति, पेन कार्ड की फोटो प्रति, ड्राइविंग लाइसेन्स की फोटो प्रति, ाशन कार्ड की फोटो प्रति, पहचान पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत की गई है तथा प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में भंवरलाल पिता नर सिंह महाजन निवासी भीलवाडा, शंतोक कुमार पिता नर सिंह महाजन निवासी भीलवाडा, जगदीश पिता नर सिंह महाजन निवासी भीलवाडा के साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी के सम्मन जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस के दौरान अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम आरजिया प0ह0 आरजिया तहसील भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 2038 रकबा 1.0242 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के पिता नरसिंह लाल पिता रामचन्द जाति महाजन के नाम दर्ज थी, नरसिंह लाल की मृत्यु के बाद उक्त भूमि विरासत का नामान्तकरण प्रार्थी एवं जगदीश, भंवरलाल, सन्तोष कुमार पिता नर सिंह, मंजु पुत्री नर सिंह के नाम पर खोला गया नर सिंह लाल की विरासत का जो नामान्तकरण खोला गया वह सही खोला गया लेकिन नामान्तकरण में लिपिकीय त्रुटि एवं भूलवश प्रार्थी का नाम राजेश के बजाय राजुलाल अंकित कर दिया गया जिसे संशोधन कराया जाकर राजेश अंकित कराया जाये तथा नरसिंह की विरासत के बाद जमाबन्दी में खातेदारो की जाति अंकित नही की गई जब जमाबन्दी को ऑनलाइन की गई तब उक्त वर्णित आराजियात में खातेदारो की जाति बिना किसी आधार के राजपूत अंकित कर दी गई जबकि पुरानी जमाबन्दी के अनुसार उक्त वर्णित आराजियात के खातेदार की जाति महाजन अंकित है जिसे भी संशोधन कराये जाने की प्रार्थना की है। विपक्षी की और से पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रकट नही की है।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन् किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया गया । ग्राम आरजिया के नामान्तरकरण संख्या 927 में आ.नं. 2038 क्षैत्रफल 4.01 बीघा भूमि नरसिंहलाल पिता रामचन्द्र महाजन के नाम दर्ज होकर नर सिंह की मृत्यु पर विरासत में भंवरलाल, राजूलाल, संतोष कुमार, जगदीश पिता नर सिंह, मन्जु पुत्री नर सिंह महाजन के नाम दर्ज करने की दिनांक 11.12.2001 को तहसीलदार भीलवाडा ने स्वीकृति प्रदान की है। ग्राम आरजिया प0ह0 आरजिया तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 2038 रकबा 0.0242 हैक्टेयर भूमि जमाबन्दी संवत 2071–2074 में भंवरलाल, राजूलाल, सन्तोक कुमार, जगदीश पिता नर सिंह, मन्जु पुत्री नर सिंह जाति राजपूत दर्ज कर दिया गया जो त्रुटिपर्ण है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का नाम राजुलाल पुत्र नर सिंह राजपूत के बजाय राजेश पुत्र नर सिंह महाजन एवं सन्तोक कुमार की बजाय सन्तोष कुमार पुत्र नर सिंह महाजन एवं जगदीश पुत्र नर सिंह राजपूत के बजाय जगदीश पुत्र नर सिंह महाजन, भंवरलाल पुत्र नर सिंह राजपूत के बजाय भंवर लाल पुत्र नर सिंह महाजन एवं मन्जु पुत्री नर सिंह राजपूत के बजाय मन्जु पुत्री नर सिंह महाजन नाम परिवर्तन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है अतः एवं

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम आरजिया प0ह0 आरजिया तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 2038 रकबा 0.0242 हैक्टेयर भूमि की जमाबन्दी में अंकित राजुलाल पिता नर सिंह राजपूत के बजाय राजेश पिता नर सिंह महाजन एवं सन्तोक कुमार पुत्र नर सिंह राजपूत के बजाय सन्तोष कुमार पुत्र नर सिंह महाजन एवं जगदीश पुत्र नर सिंह राजपूत के बजाय जगदीश पुत्र नर सिंह महाजन, भंवरलाल पुत्र नर सिंह राजपूत के बजाय भंवर लाल पुत्र नर सिंह महाजन एवं मन्जु पुत्री नर सिंह राजपूत के बजाय मन्जु पुत्री नर सिंह महाजन नाम परिवर्तन करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा राजस्व रेकार्ड में उपरोक्तानुसार ईन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। निर्णय की एक प्रति पालनार्थ तहसीलदार भीलवाडा को प्रेषित की जाये।

आजदिनांक 20.03.2024 को निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Shad

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा